पत्र संख्या–वन भूमि–20/2016– 4367 व0प0

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक– 21/09/16

विषयः– सरायकेला वन प्रमण्डल अन्तर्गत सर्वश्री झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि0 द्वारा रामचन्द्रपुर से चाईबासा तक 220 के0वी0 डी0/सी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु अधिसूचित 4.052 हे0 एवं जंगल–झाड़ी 0.64 हे0 कुल 4.672 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में ।

प्रसंगः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–781 दिनांक–05.08.2016 एवं पत्रांक–807 दिनांक–17.08.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सरायकेला वन प्रमण्डल अन्तर्गत रामचन्द्रपुर से चाईबासा तक 220 के0वी0 डी0/सी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु अधिसूचित 4.052 हे0 एवं जंगल–झाड़ी 0.64 हे0 कुल 4.672 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव की सम्यक समीक्षोपरान्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–11–09/98–FC दिनांक–25.02.2016 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार के निर्णयानुसार सैद्धांतिक सहमति निम्न शर्त्तों के साथ दी जाती है :–

(i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ii) प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या–WP(C) 202/1995 में दिनांक–28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 को पारित आदेश तथा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–FC दिनांक–05.02.2009 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरूप अपयोजित होनेवाली 4.672 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।

(iii) यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।

(iv) प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।

(v) प्रस्तावित अपयोजन में आवश्यकता पड़ने पर ही वृक्षो का पातन किया जायेगा तथा वृक्षों का पातन वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा।

(vi) ट्रांसमिशन लाईन के Sag की ऊँचाई 7 मीटर रखनी होगी, ताकि वन्यप्राणियों, विशेषकर हाथियों को बिजली स्पर्शाघात की घटनाओं से बचाया जा सके।

(vii) भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(viii) ट्रांसमिशन लाईन के Right of way की चौड़ाई 35 मीटर में सुनिश्चित किया जाय।

(ix) विधुतवाही तार एवं वृक्षों के बीच कम से कम 4.6 मीटर का Clearance रखना प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा, जिसमें तारो के Sag एवं Swing का भी ध्यान रखना होगा।

(x) ट्रांसमिशन लाईन खिंचने के बाद उपलब्ध भूमि जिसमें वृक्षारोपण किया जा सकता है, का आकलन करने के बाद इस भूमि पर छोटे औषधीय पौधों को लगाने के लिए आवश्यक राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

(xi) वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।

(xii) यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार एवं वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय-समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस-पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।

(xiii) परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के वन एवं वन्यप्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।

(xiv) अपयोजित होनेवाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।

(xv) सूर्यास्त से सूर्योदय तक सामान्यतः वनभूमि पर ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा, यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।

(xvi) उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा-निर्देश की कंडिका-1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

सैद्धांतिक सहमति के शर्त्तों के अनुपालन होने के उपरान्त अंतिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

D/Vijay /vanvumi| 206

ज्ञापांक–वन भूमि –20 / 2016– 4367 व0प0, राँची दिनांक– 21/09/16

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इण्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय– राँची, बंगला नं0–A-2, श्यमली कॉलोनी, राँची–834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/16

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वन भूमि –20 / 2016– 4367 व0प0, राँची दिनांक– 21/09/16

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला / झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि0, इंजिनियरिंग बिलडिंग, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची / श्री आर0 के0 सैनी, प्रबंधक (जेसीपी), पावर ग्रिड, सरायकेला, झारखण्ड–832108 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/16

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वन भूमि–20 / 2016 4367 व0प0, राँची दिनांक– 21/09/16

प्रतिलिपि–वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को विभागीय वेबसाईट "forest jharkhand.gov.in" पर Upload करने हेतु प्रेषित।

20/9/16

सरकार के उप सचिव